दिल्ली छावनी परिषद
Delhi Cantonment Board
सदर बाजार,दिल्ली छावनी10
Sadar Bazar, Delhi Cantt – 10
Tel. No. : 25693837, 25695450
Email : ceodelhicantt@gmail.com
Website : www.cbdelhi.in

सार्वजनिक सूचना

दिनांक : 28 दिसम्बर, 2018

स० 11

दिल्ली छावनी परिषद कार्यालय द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक सूचना सं. 10 दिनांक 29 नवंबर, 2018, जोकि इस समाचार पत्र मे 30 नवम्बर 2018 को प्रकाशित की गई थी। उक्त प्रकाशन मे त्रुटिवश निम्न त्रुटि होने के कारण उसे निरस्त करते हुए इस सार्वजनिक सूचना को पुनः सही परिपेक्ष मे प्रकाशित किया जाता है। उक्त प्रकाशित सुचना में त्रुटि निम्न प्रकार थी:-

पैरा	त्रुटि/ शुद्धि
पैरा-1,में	9 दिनांक 01 सितम्बर 2017 के स्थान पर 9 दिनांक 01 सितम्बर, 2018 है, प्रकाशित किया जाना था।
पैरा-1,में	टाइम्स ऑफ इंडिया के स्थान पर दैनिक जागरण, प्रकाशित किया जाना था।
पैरा-3,में	एतदद्वारा फ़ाइनल लिस्ट (मैला ढोने वालो) प्रकाशित की जाती है के स्थान पर एतदद्वारा शून्य हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों एवं शून्य अस्वच्छ शौचालय की पहचान हुई है, प्रकाशित किया जाना था।

उपरोक्त के अलावा दिल्ली छावनी परिषद कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं वेब साइट पर पूर्व मे लगाये गये सार्वजनिक सूचना का विवरण भी निम्न सूचना मे दर्शाया गया है।

1. दिल्ली छावनी परिषद कार्यालय द्वारा सूचना संख्या 9 दिनांक 01 दिसम्बर 2018 जोकि इस समाचार पत्र मे 06.09.2018 के संस्करण मे प्रकाशित हुई थी। जिसमे यह दर्शाया गया कि "दि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लायमेंट ऐज़ मैनुअल स्कावेंजर एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट/रुल्स 2013" ("हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम/नियम, 2013") की धारा 4 एवं 11 के प्रावधान के अंतर्गत 01, अगस्त 2018 से 30, अगस्त 2018 के दौरान दिल्ली छावनी परिषद कार्यालय द्वारा किया गया आरंभिक सर्वेक्षण जिसमे किसी की भी पहचान हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप मे एवं अस्वच्छ शौचालय होने की जानकारी नहीं मिली। उक्त सार्वजनिक सूचना, दिल्ली छावनी परिषद कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी दिनांक 05.09.2018 को सर्वसाधारण जनता के सूचनार्थ लगाई गई थी। इसके अलावा उपरोक्त सूचना की प्रतिलिपि दिल्ली छावनी परिषद कार्यालय की वेबसाइट (www.cbdelhi.in) पर दिनांक 04.09.2018 को अपलोड कर दी गई थी।

2. दिल्ली छावनी परिषद द्वारा संचालित सर्वेक्षण पर आधारित अस्थाई आधार पर, उपरोक्त घोषणा की गई थी कि दिल्ली छावनी क्षेत्र मे न तो हाथ से मैला उठाने के कार्य के लिए कोई व्यक्ति लगाया गया है न ही कोई अस्वच्छ शौचालय प्रकाश मे आया है। इस संबंध मे उपरोक्त सार्वजनिक सूचना के माध्यम से 15 दिन का समय देते हुए लिखित क्लेम निर्धारित प्रारुप मे छावनी परिषद कार्यालय की सफाई शाखा मे जमा करने का प्रावधान किया गया था, जिसके संबंध मे शून्य क्लेम प्राप्त हुआ।

3. अब "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम/नियम, 2013" के प्रावधानों के अनुसार, एतदद्वारा दिल्ली छावनी क्षेत्र मे शून्य हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों एवं शून्य अस्वच्छ शौचालय की पहचान हुई है। परन्तु हाथ से मैला उठाने वाला कर्मी स्वयं के विषय में उसका हाथ से मैला उठाने वाला कर्मी होने की घोषणा करने का हकदार होगा।

मुख्य अधिशासी अधिकारी
दिल्ली छावनी परिषद
(पुष्पेंद्र सिंह)